संख्या-221/2018/645/69-1-18-02(एस0सी0पी0)/2018

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी

विशेष सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2018

विषय वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत "मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास (एस0सी0एस0पी0) योजनान्तर्गत" जनपद-महाराजगंज की 33 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5385/01/10/छ:/विविध/2017-18, दिनांक 27 मार्च, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास (एस0सी0एस0पी0) योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-महाराजगंज की न0पा0प0-महाराजगंज व नौतनवा एवं न0पं0, निचलौल व सोनौली की विभिन्न मलिन बस्तियों में इंटरलाकिंग रोड, नाली निर्माण व एल0ई0डी0 लाईट कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 33 हेतु कुल रू0 532.09 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रू0 266.045 लाख (रूपये दो करोड़ छाछठ लाख चार हजार पांच सौ मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ यह सुनिश्चित कर लेगें कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर व्यय करने से पूर्व परियोजनाओं को जनपद स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

क्रमशः.........2

722

5. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को अवमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य वर्तमान तथा भविष्य में किसी अन्य मद/ योजना/कार्यक्रम से न तो स्वीकृत किया गया है और न वर्तमान में किसी अन्य मद/योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा कि स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

6. प्रश्नगत योजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन यथा कार्यों के आकार में वृद्धि एवं विशिष्टियों में परिवर्तन आदि नहीं किया जायेगा। प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन आदि एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रस्तावित कराया जाना अनिवार्य होगा।

7. उक्त धनराशि का प्रयोग उसी प्रायोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है, किसी प्रकार का व्ययावर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते/पीएलए में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

9. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा संयुक्त सचिव/विशेष सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा। उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।

10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।

क्रमशः.........3

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीय,
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-24 /2018/645(1)/69-1-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, महाराजगंज।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,
(अलिखानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

शासनादेशसंख्या- 221 /2018/645/69-1-2018-02(एस0सी0पी0)/2018, दिनांक 31 मार्च, 2018 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	महाराजगंज	न0पा0प0, महाराजगंज	वार्ड नं0 08 राजीव नगर में श्री संजय वर्मा के घर से संगीता देवी के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	10.67	5.335
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 08 श्री अशोक यादव के घर से बी0एस0एन0एल0 टावर होते हुये श्रीमती प्रियांका के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	13.31	6.655
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 02 शिव नगर में पी0डब्लू0डी0 पिच मार्ग से श्री अलिजान के घर होते हुये श्री मुन्ना सिंह के प्लाट तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	19.70	9.85
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 24 सक्सेना नगर में श्री छविनाथ सिंह के घर से जी0एस0बी0 एस0 इण्टर कालेज के बाउण्ड्री वाल तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	7.48	3.74
5	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 11 आजाद नगर में श्री अनिल पटेल के घर से श्री रामकिशुन के घर होते हुये बालवेन्द्र के घर तकण कार्य।	28.91	14.455
6	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 11 आजाद नगर में श्री राघवेन्द्र के घर से श्री विशाल के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	12.72	6.36
7	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 11 आजाद नगर में श्री कपिल देव के घर से निर्मित इण्टरलाकिंग रोड तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	6.09	3.045
8	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 11 आजाद नगर में श्री सुशील कुमार के घर से समशान घाट तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	14.26	7.13
9	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 02 शिव नगर में श्री वीरेन्द्र के घर से श्री रामकेवल के घर होते हुये श्री कृष्णा के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	11.57	5.785
10	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 23 मऊपाकड में श्री निर्मल गुप्ता के घर से श्री श्री नन्हे पटेल के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.17	4.585
11	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 23 मऊपाकड में श्री संतोष के घर के श्री नथुनी के घर होते हुये इण्टरलाकिंग रोड तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.57	4.785

12	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 01 नेहरू नगर में श्री लालजी के घर से श्री इलियाकत अली के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	7.15	3.575
13	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 01 नेहरू नगर में पिच रोड से श्री राम सेवक के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.57	4.785
14	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 01 नेहरू नगर में पिच रोड से श्रीमती सुनीता देवी के घर होते हुए श्री शिवेन्द्र के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	14.88	7.44
15	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 01 नेहरू नगर में श्रीमती ब्रम्हावती देवी के घर से पी0डब्लू0डी0 पिच रोड तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	8.62	4.31
16	फतेहपुर	न0पं0, हथगाम	वार्ड नं0 01 नेहरू नगर में श्री रजनी पाण्डेय के घर के बगल से श्री हौसिला प्रसाद के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	25.23	12.615
17	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 02 शिव नगर में श्री मातिवर के घर से श्रीमती पूनम देवी के घर होते हुये शिवमंदिर तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	19.75	9.875
18	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 02 शिव नगर में श्रीमती पूनम देवी के मकान से श्रीमती फुलमती देवी के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	10.95	5.475
19	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 10 इन्द्रानगर में श्री रमाशंकर गुप्ता के घर से बलिया नाला तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	4.14	2.07
20	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 07 जय प्रकाश नगर में श्री छठ्ठीलाल के प्लाट से श्री मामा के पलाट होते हुये श्रीमती उर्मिला देवी के प्लाट तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	8.16	4.08
21	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 07 जय प्रकाश नगर में श्री रामचन्द्र के घर से नवनिर्मित इण्टरलाकिंग रोड तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	12.51	6.255
22	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 04 बैकुन्डपुर में श्री श्याम मोहन के घर से श्री हरिशचन्द्र के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	19.85	9.925
23	महाराजगंज	न0पं0, निचलौल	वार्ड नं0 01 जिगनहावां सार्वजनिक शौचालय के बगल से मयबालिया रोड तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	14.60	7.30
24	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 01 मलिन बस्ती में बब्लू3 हरिजन के घर से होते हुये छियुतहा रोड विमल के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	21.26	10.63
25	तदैव	न0पं0, सोनौली	वार्ड नं0 01 अम्बेडकर नगर में श्री बालक दास के घर से श्री सुन्दर के घर होते हुये श्री यूनुस के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	22.86	11.43

26	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 04 माधाव रामनगर में री दुर्गेश के घर से श्री सलामत के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	8.15	4.075
27	तदैव	न0पा0प0, नौतनवा	वार्ड नं0 02 विस्मिल नगर में साहिबा के मकान से बाईपास तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	27.87	13.935
28	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 02 विस्मिल नगर में मस्जिद से राधिका के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण एवं एल0ई0डी0 लाईट का कार्य।	18.70	9.35
29	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 02 विस्मिल नगर में मनसब अली के घर से फकरूद्दीन के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण एवं एल0ई0डी0 लाईट का कार्य।	29.71	14.855
30	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 02 विस्मिल नगर में इस्तेहाक के मकान से वकील के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण एवं एल0ई0डी0 लाईट का कार्य।	16.27	8.135
31	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 02 शाहिबा के मकान से बाईपास तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	30.25	15.125
32	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 03 हमीद नगर में नन्दलाल हरीजन के मकान से मोहन हरीजन के घर से मुकेश के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	19.41	9.705
33	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 03 हमीदनगर में राम विरच हरीजन के घर से तमेश्वर के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	24.17	12.085
योग				532.09	266.045

(रूपये दो करोड़ छाछठ लाख चार हजार पांच सौ मात्र)।

(अलिखानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।